# FROM No. III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत........................ मुकाम........................

रंजीत सिंह ........ बनाम ........ चरन कौर

किस्म मुकदमा........................ नं० 43/24 (223) ........ सन्........

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17.10.24 | वकील अपीलार्थी उपस्थित। अपील "subject to limitation" दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पो० नं० 7 की ओर से निशांत भार्गव Ad ने वकालतनामा पेश किया। नकल अपील, स्थगन प्रा० पत्र दिलायी गयी। वास्ते जवाब, बहस स्थगन प्रा० पत्र दि० 18/10 को पेश हो। [signature] | [signature] 17/10/24 |
| 18/10/24 | वकील उभयपक्ष उपस्थित रेस्पो० ने धारा 96 सीपीसी व स्थगन का जवाब प्रस्तुत किया एवं प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की, उभयपक्ष को प्रारम्भिक आपत्ति व धारा 96 व स्थगन पर सुना गया। वास्ते आदेश दिनांक 30/10/24 को पेश हो। [signature] | |

7

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.11.2024 | वकील उभयपक्ष उपस्थित। दिनांक 30.10.2024 को स्थानीय अवकाश घोषित होने के कारण पत्रावली आज, वास्ते आदेश प्रारम्भिक आपत्ति, धारा 96, मियाद व स्थगन पेश हुयी।<br><br>वकील रैस्पो0 कि प्रथम प्रारम्भिक आपत्ति यह रही है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण गुरूचरन कौर व अन्य ने एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 07 एंव रैस्पो0 11 लगायत 16 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगणा गुरूचरन कौर व अन्य का दावा एवं रैस्पो0 संख्या 11 लगायत 16 का काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया तथा रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 07 का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाते हुये उन्हें विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो निर्णय पारित किये गये। मुताबिक कानून दोनों निर्णय व डिक्री की अपीलाण्ट को दो पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। क्योंकि वाद पत्र खारिज होने का निर्णय अंतिम हो चुका है तथा काउण्टर क्लेम के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील से अपीलाधीन आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रस्तुत हस्तगत अपील में अपीलाण्ट का कथन यह है कि बुझा सिंह ने उनके पक्ष में एक अपंजीकृत शपथ पत्र लिखकर आराजी खसरा नम्बर 304 व 313 वाके ग्राम महमदपुर का कब्जा उन्हें सौंप दिया था। अतः विवादित आराजी में उनके स्वत्व निहित हैं। निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो दावा व काउण्टर क्लेम अपीलाधीन आदेश से खारिज फरमाया गया है व बुझा सिंह के वारिसों के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। अतः बुझा सिंह के वारिसो को एवं रैस्पो0 संख्या 11 लगायत 16 को ही अपील करने का अधिकार है। दूसरी आपत्ति बाबत् उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में बुझा सिंह के पुत्र कुलविन्दर की बेटी परवीन कौर पक्षकार थी परन्तु अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि वह अपील के लिये आवश्यक पक्षकार है। उसके बिना मौजूदा अपील पोषणीय नहीं है। तीसरी आपत्ति पर उनका तर्क है कि अपीलाण्ट जिस अपंजीकृत दस्तावेज को आधार बनाकर अपील पेश कर रहे हैं वह एक शपथ पत्र है, वह भी फोटो प्रति है, ना कि मूल दस्तावेज, जो दस्तावेज अपंजीकृत होता है, विधि अनुसार वह साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है एवं जब वह साक्ष्य में ग्राह्य ही नहीं है, तो वह कथित शपथ पत्र के आधार पर अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। रैस्पो0 द्वारा अपने जवाब व प्रारम्भिक आपत्ति के साथ प्रस्तुत दस्तावेज से यह पूर्णतया सिद्ध किया है कि बुझा सिंह के वारिस जगतार सिंह व शैलेन्द्र कौर द्वारा न्यायालय हाजा में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी थी, जो दिनांक | |

भू प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

25.09.2024 को न्यायालय हाजा से खारिज हो चुकी है। अतः बुझा सिंह के तथाकथित शपथ पत्रो की फोटो प्रति के आधार पर, जो कि एक अंपजीकृत दस्तावेज हैं। अपीलाण्ट को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होते हैं। क्योंकि वह एक अपरिचित व्यक्ति हैं। इसलिये वह अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को चुनौती नहीं दे सकते हैं। यदि कोई चुनौती दे सकता है, तो वह बुझा सिंह के वारिसान ही दे सकते हैं। परन्तु उनकी अपील दिनांक 25.09.24 से खारिज हो चुकी है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट ने जो अंपजीकृत दस्तावेज के आधार पर अपील प्रस्तुत की है वह भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध है। क्योंकि शपथ पत्र प्रीतू पुत्र वतन सिंह का प्रस्तुत किया है। जबकि शपथ पत्र का स्टाम्प प्रीतू स्वयं द्वारा क्रय नहीं किया गया है, तो उपरोक्त शपथ पत्रो को कैसे विश्वसनीय माना जा सकता है। अतः धारा 96 सीपीसी के तहत अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने के कोई अधिकार नहीं हैं एवं जब उन्हें अपील प्रस्तुत करने के अधिकार ही नहीं है, तो स्थगन का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अपील भी मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किये गये हैं। अंत में प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक एतराज स्वीकार किया जाकर, अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2020 पेज 330, 558, 575, 698, 2022 पेज 355, 645, 2019 पेज 101, 158, 10 आरआरडी 1994 पेज 168, आरआरटी 2019(1) पेज 332, 2020(1) पेज 446, 2024(1) पेज 459, 2017(1) पेज 403, 2021(1) पेज 19, 2021(2) पेज 1443, 2017(2) पेज 883, 2023(1) पेज 82, 2014–15 पेज 664 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि जहॉ दावा व काउन्टर क्लेम एक साथ एक ही निर्णय एवं डिक्री से निर्णित किये गये हो तब एवं जहॉ पृथक–पृथक दो दावे भी एक ही निर्णय एवं डिक्री से निर्णित किये गये हों तब उनके विरूद्ध एक ही अपील पोषणीय होती है। जहॉ तक अपील में किसी पक्षकार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 संख्या 01 लगायम 07 ने पूर्व के निर्णित प्रकरणो के तथ्यों को छिपाते हुये एवं अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुये षडयंत्रपूर्वक अपीलाधीन आदेश पारित कराया है एवं अपने पक्ष में खातेदारी के अवैध रूप से इंद्राज अंकित करवाये हैं। अपीलाण्ट का मुख्य अनुतोष रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 07 के विरूद्ध ही है। तहसीलदार के यहॉ सरना, दर्शना के नामान्तकरण का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। रैस्पो0 उक्त कार्यवाही में भाग ना लेते हुये पृथक से दावा करके अपीलाधीन आदेश पारित करा लिया। अपीलाण्ट ने परवीन कौर को अपील में दिये गये सजरे में स्पष्ट तौर से अंकित किया है। परन्तु सद्भावी टाइप संबंधी भूलवश बतौर रैस्पों0 अंकित होने से छूट गई है तथा जिसको पक्षकार प्रकरण बनाये जाने हेतु

भू प्रबन्ध अधिकारी
पक्षेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पृथक से आवेदन दिनांक 22.10.2024 को प्रस्तुत कर दिया है। कानूनन प्रत्येक प्रकरण नोन ज्वाइंडर ऑफ पाट्रीज एवं मिस ज्वांइडर ऑफ पाट्रीज के आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये, तकनिकी त्रुटियों पर निर्णय करने की बजाय पीडित पक्षकारो को न्याय प्रदान करने के लिये मैरिट पर प्रकरण निस्तारित करना चाहिये। मियाद के सम्बन्ध में निवेदन किया कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं थे। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, अपील अपीलाण्ट को जानकारी की दिनांक से मियाद अन्दर शुमार किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2023(2) पेज 1233, 2023(1) पेज 389, 2018(3) पेज 1197, आरआरटी 2022–23 पेज 307, 699, 2019(2) पेज 1206, 2023(1) पेज 227, 2010(1) पेज 87, 2018(1) पेज 317, 801, 2010(1) पेज 509, 2023(1) पेज 352, आरआरडी 2020 पेज 309 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद पर विचार किया जाना अपेक्षित है। मियाद के संबंध में अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं थे। इसलिये उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हुयी। हमने मनन किया। प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण नजर आते हैं। चूंकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं थे। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर ना होना स्वभाविक है। अतः मियाद के बिन्दू पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, जानकारी की दिनांक से अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। रैस्पों0 की यह आपत्ति कि अपीलाण्ट ने अपील में बुझा सिंह के पुत्र कुलविन्दर की बेटी, परवीन कौर जो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थी। परन्तु उसे अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में परवीन कौर, प्रतिवादी संख्या 06 के रूप में पक्षकार थी। परन्तु अपीलाण्ट ने अपनी अपील में परवीर कौर को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है एवं ना ही पक्षकार नहीं बनाये जाने बाबत् अपील में कोई कारण ही अंकित किये हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 01 नियम 09 के अनुसार अपील में आवश्यक पक्षो को सम्मिलित करना आवश्यक है, अन्यथा अपील पर विचार नहीं किया जा सकता। लिहाजा अपील में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण, अपील निश्चित तौर पर Mis joinder of necessary Parties के दोष से ग्रसित है। हम रैस्पो0 की इस आपत्ति में भी बल पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण गुरूचरन कौर व अन्य का दावा एवं रैस्पो0 संख्या 11 लगायत 16 का काउन्टर क्लेम खारिज हुआ है एवं रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 07 का काउन्टर क्लेम स्वीकार होकर उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने दो

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

निर्णय पारित किये हैं। परन्तु अपीलाण्ट ने उक्त दोनों निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है। जबकि अपीलाण्ट को दो पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत करनी चाहिये थी। क्योंकि वाद पत्र खारिज होने का निर्णय अंतिम हो चुका है तथा काउण्टर क्लेम के विरूद्ध की गयी अपील से अपीलाधीन आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। क्योंकि काउन्टर क्लेम भी एक वाद का ही रूप होता है तथा उस पर, वह सभी प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू होते हैं, जो कि किसी वाद में लागू होते हैं। न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2020 पेज 330, 558, 575, 698 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 व सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 6 ए में वाद व काउन्टर क्लेम में पारित निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील पोषणीय नहीं रहती है। ऐसे आदेश के विरूद्ध दो अलग अलग अपील प्रस्तुत करनी चाहिये। क्योंकि काउन्टर क्लेम भी वाद का ही रूप होता है, जो पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित होता है। इस प्रकार दावा एवं काउन्टर क्लेम के विरूद्ध एक ही अपील पोषणीय नहीं मानी जा सकती। आगे प्रश्न आता है कि क्या अपीलाण्ट, अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्ष हैं एवं उन्हें धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है ? हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अपीलाण्ट विवादित आराजी को स्व0 सरना व दर्शना से उनके जीवन काल में कब्जा प्राप्त करना एवं स्व0 सरना व दर्शना के वारिस बूझा सिंह व प्रीतू सिंह के द्वारा दिनांक 10.09.1979 को शपथ आयुक्त से सत्यापित कराकर एक हल्फनामा तस्दीक कराने के आधार पर विवादित आराजी में अपना स्वत्व व कब्जा काश्त बताते हैं। अर्थात अपीलाण्ट बूझा सिंह व प्रीतू सिंह के पदचिन्ह पर हैं। प्रथम तो बूझा सिंह के वारिस जगतार सिंह व शैलेन्द्र कौर द्वारा न्यायालय हाजा में अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील शैलेन्द्र कौर बनाम चरन कौर न्यायालय हाजा से दिनांक 25.09.2024 को खारिज हो चुकी है, तो बूझा सिंह के तथाकथित शपथ पत्रो की फोटो प्रति के आधार पर अपीलाण्ट अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं होते हैं। क्योंकि वह एक अजनबी व्यक्ति हैं। द्वितीय अपीलांट जिस अपंजीकृत दस्तावेज को आधार बनाकर हस्तगत अपील प्रस्तुत कर रहे हैं वह एक शपथ पत्र है, वह भी फोटो प्रति है, जो दस्तावेज अपंजीकृत होता है वह विधि अनुसार साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता एवं जब वह साक्ष्य में ग्राह्य ही नहीं है, तो उक्त दस्तावेज के आधार पर यदि अपीलाण्ट को धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दे भी दी जावें, तो भी उक्त दस्तावेज से अपीलाण्ट को विवादित आराजी में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकते। क्योंकि पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 व 49 में जब अचल सम्पत्ति का विनिमय विलेख 100 रूपये से ज्यादा की कीमत का है, जिसके द्वारा सम्पत्ति के अधिकार दिये व वापस लिये जाते हैं तब धारा 17 के अंतर्गत उसका पंजीकरण आवश्यक है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में दस्तावेज का पंजीकरण

भू-प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नहीं हुआ है। इसलिये उसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार ट्रांसफर ऑफ प्रोपट्री अधिनियम 1882 की धारा 54 में बेचान के, इकरानामे से विवादित सम्पत्ति में किसी को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 में बेचान के, इकरारनामें के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकतें। हमने अपील के साथ प्रस्तुत कथित शपथ पत्र/बयान हल्फनामा का भी अवलोकन किया। उक्त शपथ पत्र प्रीतू पुत्र वतन सिंह का प्रस्तुत किया गया है एवं उसका स्टाम्प बूझा सिंह के द्वारा लिया गया है, जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वैसे भी जैसा ऊपर विवेचना में आ चुका है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार चूंकि अपीलाण्ट बूझा सिंह के परिवार से कोई संबंध नहीं रखता है एवं बूझा सिंह के वारिसो के द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा से खारिज हो चुकी है एवं अपीलाण्ट बूझा सिंह के पदचिन्ह पर ही अपील प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट तीसरा पक्षकार है एवं जिस अंपजीकृत दस्तावेज, जिसकी विश्वसनीयता पर भी संदेह है, के आधार पर अपील प्रस्तुत की जा रही है। उस अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय अपीलाण्ट को विवादित आराजी में कोई स्वत्व प्रदान नहीं कर सकता है। अतः अपीलाण्ट को धारा 96 सीपीसी के तहत पीडित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। चूंकि प्रकरण में मुख्य विवाद वाद पत्र एवं काउण्टर क्लेम के विरूद्ध दायर एक अपील पोषणीय हैं या नहीं बाबत् है। उक्त तथ्य बाबत् अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरे आरबीजे 2020 पेज 330, 558, 575, 698 हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण चस्पा होती हैं। जबकि विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2023(2) पेज 1233 हस्तगत प्रकरण में इसलिये लागू नहीं होती हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में दो दावे प्रस्तुत हुये एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनों दावो को कंसोलिडेट किया जाकर एक ही निर्णय से पारित किया है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करने के बाद दो काउन्टर क्लेम प्रस्तुत हुये एवं अपीलाण्ट जिन पक्षकारो से आराजी प्राप्त होने का कथन करते हैं उन पक्षकारो का दावा एवं काउन्टर क्लेम दोनों ही खारिज हुये हैं। इस कारण उक्त न्यायिक दृष्टान्त एवं हस्तगत प्रकरण के तथ्यों में भिन्नता है। इसी प्रकार आरआरटी 2023(1) पेज 227 में भी अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध दायर दो पृथक–पृथक अपीलो को एक साथ कंसोलिडेट कर निर्णय पारित किया गया है। जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ, तथ्य भिन्न हैं। आरआरटी 2022–23 पेज 307 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे व जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर ना तो तनकी कायम की गयी थी तथा ना ही वादी को काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। जिस पर माननीय

राजस्व मण्डल राज0 अजमेर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अवैध मानते हुये अपील स्वीकार की गयी है। जबकि हस्तगत प्रकरण में जो निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय ने पारित की है वह तनकीवार व उभयपक्षो की साक्ष्य के बाद ही पारित की है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अपील में जो अपीलाण्ट आये हैं वह अधीनस्थ न्यायालय में उन पक्षकारो के वारिसो से आराजी प्राप्त करना बताते हैं। जिनके वाद पत्र व काउन्टर क्लेम दोनों ही खारिज किये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त व मौजूदा प्रकरण के तथ्यों में भिन्नता होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अभिभाषक रैस्पो0 का प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज योग्य समझते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिल आर्य)
आर0ए0एस0
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर